[2020] 3 एस सी. आर. 680

परमेशवेर नंदा आदि बनाम मुख्य सचिव और अन्य के

माध्यम से झारखंड राज्य

(2020 की सिविल अपील संख्या 505-531)

07 फरवरी, 2020

[एल. नागेश्वर राव और हेमंत गुप्ता, जे.जे.]

झारखण्ड पेंशन नियम । नियम 58, 59 और 31, 38 - अपीलकर्ताओं को 1978-1990 के बीच बिहार के तत्कालीन अविभाजित राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सह-प्रायोजित एक परियोजना के तहत नियुक्त किया गया था - अपीलकर्ताओं की सेवाएं 2000 में गठित झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में गिर गईं - भारत सरकार ने एक नीतिगत निर्णय द्वारा परियोजना को बंद कर दिया - झारखंड सरकार ने 16.05.2001 से कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया - इसने विभिन्न विभागों में परियोजना में लगे कर्मचारियों के अवशोषण के लिए अधिसूचना जारी की - उक्त अधिसूचना के खंड 11 और 12 के अनुसार, अवशोषित अधिशेष कर्मचारियों को उनकी घोषणा से पहले नई नियुक्तियों और उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के रूप में माना जाना था क्योंकि अधिशेष को उनकी वरिष्ठता और वेतन संरक्षण के उद्देश्य से नहीं गिना गया था - 59 रिट याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन लाभों का दावा किया गया था, आमतौर पर खंड 11 और 12 को चुनौती दी गई थी - उच्च न्यायालय ने पेंशन के दावे को अस्वीकार कर दिया - आयोजित: पूरा मामला तत्कालीन बिहार राज्य के नियम.59 और परिपत्र दिनांक 12.08.1969 पर आधारित है -नियम.59 राज्य सरकार को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए गैर-राजपत्रित सेवा में प्रदान की गई किसी भी निर्दिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा करने का अधिकार देता है, बशर्ते कि वेतन का भुगतान सामान्य राजस्व से किया जाता है - नियम.58 पेंशन योग्य होने के लिए सेवाओं को पूरा करने

के लिए आवश्यक तीन शर्तों पर विचार करता है - सबसे अच्छा, अपीलकर्ताओं ने उसमें केवल तीसरी शर्त को पूरा किया - इसके अलावा, परिपत्र दिनांक 12.08.1969 एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी को पेंशन लाभ से संबंधित है - परियोजना के तहत लगे अपीलकर्ताओं यानी एक योजना, को सरकार द्वारा अस्थायी या स्थायी आधार पर कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था -इस तरह के परिपत्र के लाभ का दावा उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है - फिर भी, आमेलन के लिए अधिसूचना दिनांक 10-11-2010 को जारी की गई है। 30.05.07 और बाद के नियुक्ति पत्र में कोई शर्त नहीं है कि परियोजना के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी - नीतिगत निर्णय में कहा गया है कि यह एक नई नियुक्ति है और वरिष्ठता या वेतन संरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा - अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति की ऐसी शर्त पर विवाद नहीं किया है - दिनांक 12.08.1969 का परिपत्र भी दूर से लागू नहीं होता है नियुक्ति की प्रकृति के रूप में परियोजना एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए थी न कि असीमित अवधि के लिए - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं - 2020 का सी ए संख्या 544 उसी शर्तों में निपटाया जाता है जैसे कि बलिराम सिंह मामले में - बिहार पेंशन नियम, 1950 - नियम 103.

अपीलों का निपटान, न्यायालय

आयोजित :1.1 पूरा मामला झारखंड पेंशन नियम, 2000 के नियम 59 और तत्कालीन बिहार राज्य के 12 अगस्त, 1969 के परिपत्र पर आधारित है। नियमों के नियम 59 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी अराजपत्रित सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई किसी भी विशिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा कर सकती है, बशर्ते कि वेतन का भुगतान सामान्य राजस्व से किया गया हो। नियमों के नियम 58 में उन शर्तों पर विचार किया गया है जिन्हें सेवाओं के पेंशन योग्य होने के लिए पूरा करना आवश्यक है। अपीलकर्ताओं को एक विशिष्ट योजना यानी परियोजना के तहत नियुक्त किया गया था। ऐसी परियोजना सरकार की स्थायी स्थापना नहीं थी क्योंकि यह एक विनिदष्ट अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए थी। परियोजना के तहत अपीलकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकार के किसी भी संवर्ग का हिस्सा नहीं है। इसलिए, नियम 58 की पहली शर्त कि प्रदान

की गई सेवा राज्य सरकार के अधीन होनी चाहिए, परियोजना के तहत नियुक्त किए गए अपीलकर्ताओं द्वारा संतुष्ट नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि रोजगार पर्याप्त और स्थायी होना चाहिए, अपीलकर्ताओं द्वारा फिर से संतुष्ट नहीं किया गया है क्योंकि अपीलकर्ताओं का रोजगार परियोजना के तहत था।. नियमावली के नियम 31 के अनुसार स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद और जिसे बिना किसी समय सीमा के संस्वीकृत किया जाता है। परियोजना के तहत अपीलकर्ताओं की नियुक्ति वेतनमान में नहीं थी और न ही इसे बिना समय सीमा के मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 38 में मूल वेतन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे संवर्ग में नियुक्त किया जाता है। सबसे अच्छा, अपीलकर्ताओं ने केवल तीसरी शर्त को पूरा किया यानी कि उन्हें सरकार द्वारा भुगतान किया गया था। यदि नियमों के नियम 58 में उल्लिखित पहली और दूसरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो किसी भी पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए गैर-राजपत्रित क्षमता में प्रदान की गई निर्दिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा कर सकती है। दिनांक 12 अगस्त, 1969 का यह परिपत्र अस्थायी सरकारी कर्मचारी को पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित है। अपीलकर्ताओं को सरकार द्वारा अस्थायी या स्थायी आधार पर कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं को परियोजना यानी एक योजना के तहत लगाया गया था, इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह के परिपत्र के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों के नियम 59 के उप-नियम (1) राज्य को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा घोषित करने का अधिकार देते हैं। 30 मई, 2007 को परिचालित आमेलन की अधिसूचना और उसके बाद के नियुक्ति पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि परियोजना के अंतर्गत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेंशन के लिए पात्र होंगी। नीतिगत निर्णय में यह कहा गया है कि यह एक नई नियुक्ति है और वरिष्ठता या वेतन संरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति की ऐसी शर्त पर विवाद नहीं किया है जिसे 30 मई, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से इस तरह के नीतिगत निर्णय के तहत नियुक्त किया गया है। परिपत्र में पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए परिपत्र में किसी विशिष्ट शर्त के अभाव में, यह पढ़ना संभव नहीं है कि परियोजना के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान किए जाने हैं। अपीलकर्ता यह कहने से नहीं चूक सकते कि परियोजना के तहत उनके

द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाएगा। दिनांक 12 अगस्त, 1969 का परिपत्र इस परियोजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों पर दूर-दूर तक भी लागू नहीं होता है क्योंकि नियुक्ति की प्रकृति ही एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए थी न कि असीमित समयावधि के लिए। [अनुच्छेद 20, 21 और 22] [692-जी-एच; 693-ए-एच; 694-ए-सी]

1.2 अपीलकर्ताओं को नए उम्मीदवारों के रूप में नियुक्त किया गया है और इसलिए, पेंशन के लिए उनकी सेवा की अवधि की गणना उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से की जानी है और इसलिए उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं मिल सकता है। चूंकि अपीलकर्ताओं को वेतन संरक्षण और वरिष्ठता के बिना नए नियुक्तियों के रूप में अवशोषित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप, वे पेंशन के उद्देश्य से परियोजना के तहत प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा की गणना करने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं पाई गई जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप का वारंट कर सकती है। [अनुच्छेद 23, 26] [694-डी-ई; 695-बी-डी]

2020 की सिविल अपील संख्या 544

1.3 बलिराम सिंह पर पहले चरण में पारित एक आदेश पर उच्च न्यायालय की निर्भरता अब अच्छी नहीं है। बिहार राज्य में, परियोजना के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई पूर्व सेवाओं को पेंशन लाभों के लिए ध्यान में रखा गया था। वर्तमान अपील का निपटारा उसी शर्तों में किया जाता है जैसे बलिराम सिंह में किया जाता है। [अनुच्छेद 27, 28] [695 जीएच; 696-ए]

झारखंड राज्य और अन्य बनाम असगर अली एवं अन्य। (2018) 18 एससीसी 64 - प्रतिष्ठित।

ध्यान सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य। (2002) 10 एससीसी 656; ***बलिराम सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य।*** (2016) एससीसी ऑनलाइन पैट 9958; ***बिहार राज्य और अन्य बनाम बलिराम सिंह एवं अन्य।*** (2018) 18 एससीसी 46; ***असगर अली और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य।*** (2010) एससीसी ऑन लाइन झार 8 - **संदर्भित।**

झारखंड राज्य और अन्य बनाम भुवनेश्वर महतो **झारखंड** उच्च न्यायालय का निर्णय 2004 के एलपीए संख्या 515 में; *झारखंड राज्य और अन्य बनाम बिमल कुमार सिन्हा* झारखंड उच्च न्यायालय का निर्णय- 2004 के एलपीए संख्या 188 में- संदर्भित।

केस लॉ रेफरेंस

(2018) 18 SCC 64	**प्रतिष्ठित**	**अनुच्छेद 11**
(2002) 10 SCC 656	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 15**
(2018) 18 SCC 46	**को संदर्भित**	**अनुच्छेद 16**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 505- 531 ऑफ 2020 किया गया।

रिट याचिका (सेवा) में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांक 16.06.2017 के निर्णय और आदेश से 2010 की रिट याचिका (सेवा) संख्या 4278, 2013 की 4110, 2009 की 3971, 2010 की 469, 2882, 4277, 4279, 4400, 6641 ऑफ 2010, 2011 की 3153, 2012 की 5618, 7232, 292, 2113, 2804, 5323, 4330, 5872, 6107, 6969 ऑफ 2013, 141, 2381, 2014 का 3277, 5771, 2015 का 676, 981, 2016 का 1865। 2020 की सिविल अपील संख्या 532-542, 543, 544, 545-546 के साथ।

रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, मनोज स्वरूप, एस बी उपाध्याय, अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ट अधिवक्ता, श्रीकांत एस, गोपाल सिंह, अभिषेक पुरी, पीएन पुरी, जेएस मराहट्टा, रतन कुमार चौधरी, अजय कुमार, कुमार शिवम, आशीष चौबे, रंजीत कुमार, पवन उपाध्याय, निशांत कुमार, सर्वजीत प्रताप सिंह, सुश्री अनीशा उपाध्याय, चंद्र भूषण प्रसाद, तपेश कुमार सिंह, अतुलेश कुमार, देवाशीष भरूका, कृष्णानंद पांडेय, उपस्थित होने वाले पक्षों के लिए जयेश गौरव, सुश्री आकांक्षा कौल, वेंकटेश, सुश्री वैशाली वर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, सौरभ मिश्रा, ओंकार सिंह, अरुण वर्मा, राहुल बैद, रौनक बैद, अधिवक्ता शामिल हुए।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे.

2020 की सिविल अपील संख्या 505-531

2020 की सिविल अपील संख्या 532-542

2020 की सिविल अपील संख्या 543

एवं

2020 की सिविल अपील संख्या 545-546

1. वर्तमान अपीलें 16 जून, 2017 को झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई हैं, जिसमें यह माना गया है कि प्रौढ़ शिक्षा और गैर-औपचारिक शिक्षा परियोजना[1] के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को राज्य द्वारा अपीलकर्ताओं की नियुक्ति के बाद पेंशन लाभ के उद्देश्य से सरकारी योजना के तहत नहीं गिना जा सकता है।

2. संक्षेप में, तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं को परियोजना के तहत नियुक्त किया गया था, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सह-प्रायोजित था, 1978 से 1990 की अवधि के बीच बिहार के अविभाजित राज्य में। कुछ अपीलकर्ताओं को प्रौढ़ शिक्षा पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि अन्य अपीलकर्ताओं को आशुलिपिक, क्लर्क सह लेखाकार, लिपिक सह टाइपकार, चपरासी के साथ-साथ ड्राइवर जैसे मंत्रालयी संवर्ग में नियुक्त किया गया था। अपीलकर्ता राज्य के विभाजन के दौरान परियोजना[1] के तहत काम कर रहे थे और उनकी सेवाएं झारखंड के उत्तराधिकारी राज्य में आती थीं जिसका गठन 15 नवंबर, 2000 को किया गया था। भारत सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2001 के नीतिगत निर्णय द्वारा इस परियोजना को बंद कर दिया। झारखंड सरकार ने बिहार राज्य के विभाजन के परिणामस्वरूप 16 मई, 2001 से कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया।

3. झारखंड सरकार ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, वित्त, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास, शहरी विकास आदि विभागों में परियोजना में लगे कर्मचारियों को उनके संबंधित निर्धारित वेतनमानों में विभिन्न पदों पर आमेलित करने के लिए 30 मई, 2007 को एक अधिसूचना जारी की। उक्त अधिसूचना के अवलोकन से पता चलता है कि 756 कर्मचारी ऐसे थे जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया था और जिन्हें राज्य

---

[1] संक्षेप में, 'प्रोजेक्ट'

द्वारा अवशोषित किया जाना था। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवषता की आयु प्राप्त कर चुके अथवा ऐसे आमेलन से पूर्व मृत्यु हो जाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अधिकांश अधिशेष कर्मचारियों को 24 जुलाई, 2007 से शुरू होने वाले नियुक्ति पत्रों के तहत विभिन्न वेतनमानों में आमेलित किया गया था।

4. 30 मई, 2007 की अधिसूचना के खंड 11 और 12 के अनुसार, आमेलित अधिशेष कर्मचारियों को नई नियुक्तियों के रूप में माना जाएगा और अधिशेष के रूप में उनकी घोषणा से पहले यानी 15 मई, 2001 से पहले उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को उनकी वरिष्ठता और वेतन संरक्षण के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। अधिसूचना के खंड 11 और 12 निम्नानुसार पठित हैं -

> "11 अधिसूचना के खण्ड 11 और 12 के खण्ड 11 अधिशेष कार्मिकों के समायोजन को नई नियुक्ति माना जाएगा और पूर्व सेवा के आधार पर अधिशेष होने के कारण, उन्हें वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा।
>
> "12. इन अधिशेष कर्मियों को वेतन संरक्षण से लाभ नहीं होगा।"

5. 59 रिट याचिकाएं दायर की गईं उच्च न्यायालय के समक्ष पेंशन लाभ और वरिष्ठता का दावा करते हुए । झारखंड उच्च न्यायालय की दो खंड पीठों की राय के अलग-अलग विचारों को ध्यान में रखते हुए मामले को पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया था। झारखंड राज्य और अन्य में बनाम भुवनेश्वर महतो[2] और झारखंड राज्य और बनाम बिमल कुमार सिन्हा[3]।

6. 2004 की एलपीए संख्या 515 को 21 नवंबर, 2003 को पारित विद्वान एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा पसंद किया गया था। रिट याचिकाकर्ता को 16 मई, 2001 से 31 जुलाई, 2001 की अवधि के लिए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, यानी उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख। रिट याचिकाकर्ता को राज्य के नियमित कर्मचारी के रूप में माना जाने का आदेश दिया गया था, जिसे वर्ष 1978 में परियोजना शुरू होने से बहुत पहले 10 दिसंबर, 1968 को नियुक्त किया गया था। 2004 का एलपीए नंबर

---

[2] 2004 का एलपीए नंबर 515

[3] 2004 का एलपीए नंबर 188

188 विद्वान एकल पीठ के आदेश के खिलाफ पसंद किया गया था । अपील में, यह माना गया था कि रिट याचिकाकर्ता को परियोजना के तहत नियुक्त किया गया था जिसे विशिष्ट शर्त पर समाप्त कर दिया गया था कि उसके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ऐसी रिट याचिकाओं को पूर्ण पीठ द्वारा तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया था। याचिकाओं का पहला समूह उन कर्मचारियों का था जो 16 मई, 2001 से अधिशेष घोषित किए जाने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें 30 मई, 2007 की अधिसूचना के अनुसरण में अवशोषित कर लिया गया था। इस श्रेणी में, कुछ रिट याचिकाकर्ता उन कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारी थे जिनकी अवशोषित होने से पहले इस अवधि के दौरान मृत्यु हो गई थी। याचिकाओं का दूसरा समूह उन कर्मचारियों से संबंधित था जिन्हें अधिशेष घोषित किया गया था लेकिन झारखंड सरकार ने दिनांक 30 मई, 2007 की अधिसूचना के तहत उन्हें आमेलित कर लिया था और तत्पश्चात् वे सेवानिवृत्त हो गए थे। याचिकाओं का तीसरा समूह उन कर्मचारियों का था जो उपर्युक्त अधिसूचना के माध्यम से झारखंड सरकार द्वारा समाहित किए जाने के बाद रिट याचिकाएं दायर करने की तारीख को कार्य कर रहे थे। श्रेणी I और II वाली रिट याचिकाओं में कर्मचारी पेंशन संबंधी लाभों का दावा करते हैं जबकि श्रेणी III में दायर रिट याचिकाएं परियोजना के अंतर्गत प्रदान की गई अपनी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता का दावा करती हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिवषता की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन का भुगतान किया जाता है।

7. सभी रिट याचिकाओं में आम चुनौती खंड 11 और 12 के लिए थी, जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। यह रिट याचिकाकर्ताओं का रुख था कि उन्हें नए नियुक्त किए गए लोगों के रूप में माना जा रहा है और उनकी पिछली सेवा को वरिष्ठता या उनके प्रारंभिक वेतन के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए नहीं गिना गया है।

8. उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में झारखंड पेंशन नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सेवा को पेंशन योग्य सेवा मानने से पहले निम्नलिखित तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है-

(i) सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

(ii) रोजगार वास्तविक और स्थायी होना चाहिए।

(iii) सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

9. नियम 59 में प्रावधान है कि राज्य सरकार पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अराजपत्रित क्षमता में प्रदान की गई किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा कर सकती है, भले ही शर्तों (1) और (2) में से कोई एक या दोनों पूरी न हों। उच्च न्यायालय ने कहा कि सामान्य शब्दों में राज्य सरकार की कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही ऐसे किसी भी याचिकाकर्ता के पक्ष में जारी किए गए व्यक्तिगत मामलों में कोई निर्देश दिया गया है।

10. इस न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 59 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का उल्लेख किया, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के संदर्भ में विभाजन के बाद झारखंड राज्य में लागू होगा। 12 अगस्त, 1969 के परिपत्र में इस प्रकार लिखा गया है:

> "के संबंध में: - एक सरकारी कर्मचारी की अस्थायी सेवा की घोषणा जो पेंशन योग्य के रूप में पुष्टि नहीं की गई है।
>
> मौजूदा पेंशन नियमों के तहत, एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी यदि किसी भी बिंदु पर पुष्टि नहीं करता है, तो वह पेंशन का हकदार नहीं है जब तक कि उसकी सेवाओं को बिहार पेंशन नियमों के नियम 59 के तहत पेंशन योग्य घोषित नहीं किया जाता है।
>
> 2. विभिन्न योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में अस्थायी सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं जो पिछले 15-20 वर्षों से अस्तित्व में हैं और यदि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं दी जाती है तो इससे उन्हें कठिनाई होगी।
>
> 3. राज्य सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया है कि यदि अस्थायी या स्थानापन्न सरकारी कर्मचारी की सेवा, जो किसी भी पद पर स्थायी नहीं है, निरंतर है और 15 वर्ष से अधिक है, तो इसे बिहार पेंशन नियमों के नियम 59 के तहत पेंशन योग्य माना जाएगा।
>
> 4. ये आदेश 12 अगस्त, 1969 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।''

11. तर्क यह है कि 16 मई, 2001 की अवधि के लिए 30 मई, 2007 की अधिसूचना के तहत कर्मचारियों के अवशोषण की तारीख तक वेतन के बकाया से संबंधित मुद्दा

झारखंड राज्य और अन्य बनाम असगर अली और अन्य [4], में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश द्वारा समाप्त हो गया है।, इसलिए, अपीलकर्ता पेंशन के परिणामी लाभों के हकदार हैं।

12. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील का तर्क यह है कि उक्त परिपत्र को अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संदर्भित नहीं किया गया था और यह सही भी है, क्योंकि ऐसा परिपत्र केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना के तहत लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। इससे भी आगे, यह एक सरकारी कर्मचारी की अस्थायी या स्थानापन्न सेवा है जिसे के नियम 59 के तहत पेंशन योग्य माना जाना है। चूंकि परियोजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी अस्थायी अथवा स्थानापन्न सरकारी कर्मचारियों के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे, अत ऐसा परिपत्र उन पर लागू नहीं होगा। इस प्रकार, यह तर्क दिया जाता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का दृष्टिकोण वर्तमान अपीलों में किसी भी हस्तक्षेप का वारंट नहीं करता है।

13. इससे पहले कि हम पक्षकारों के विद्वान वकील के संबंधित तर्कों पर विचार करें, झारखंड पेंशन नियमों के कुछ वैधानिक प्रावधानों को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है:

> "नियम 31:- स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद और बिना समय सीमा के स्वीकृत पद।
>
> नियम 38:- मूल वेतन से तात्पर्य नियम 26 (क) (iii) के अधीन प्रांतीय सरकार द्वारा वेतन के रूप में वर्गीकृत विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या परिलब्धियों से भिन्न वेतन से है, जिसके लिए कोई सरकारी सेवक उस पद के कारण जिसके लिए उसे स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है या किसी संवर्ग में उसकी मूल स्थिति के कारण हकदार है।
>
> नियम 40:- अस्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला और सीमित समय के लिए स्वीकृत पद।

---

[4] विशेष अपील (सिविल) सीसी संख्या 10361-10364 2014: 18 जुलाई 2014 को तय किए गए

अध्याय III

पेंशन की मंजूरी से संबंधित सामान्य उपबंध

धारा-1-सामान्य

नियम 58- सरकारी सेवक की सेवा तब तक पेंशन के लिए अर्हक नहीं होती जब तक कि वह निम्नलिखित तीन शर्तों के अनुरूप न हो -

प्रथम- सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए।

दूसरा- रोजगार वास्तविक और स्थायी होना चाहिए।

तीसरा- सेवा का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

नियम 59:- प्रांतीय सरकार, तथापि, सामान्य राजस्व से संदत्त सेवा की दशा में, यद्यपि (1) और (2) में से कोई एक या दोनों शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं-

(1) यह घोषणा कर सकेगी कि अराजपत्रित हैसियत में दी गई कोई विनिर्दिष्ट प्रकार की सेवा पेंशन के लिए अर्हक होगी।

(2) वैयक्तिक मामलों में, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्रत्येक मामले में अधिरोपित करना ठीक समझे, निदेश दे सकेगा कि सरकारी सेवक द्वारा की गई सेवा को पेंशन के लिए गिना जाएगा

नियम 60- किसी सरकारी सेवक की सेवा तब तक योग्य नहीं है जब तक कि उसकी नियुक्ति नहीं कर ली जाती है और उसके कर्तव्यों और वेतन का विनियमन सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा अवधारित शर्तों के अधीन नहीं किया जाता है। इस नियम द्वारा पेंशन से बाहर किए गए सरकारी कर्मचारियों के निम्नलिखित उदाहरण हैं;

(1) एक नगर पालिका के कर्मचारी,

(2) अनुदान सहायता प्राप्त स्कूलों और संस्थानों के कर्मचारी।

(3) राज्यपाल के गृहस्थ भत्ते से या उसके संविदा स्थापना भत्ते से भुगतान किए गए प्रतिष्ठान पर सेवा।

नियम 61- सेवा तब तक योग्य नहीं है जब तक कि सरकारी कर्मचारी स्थायी प्रतिष्ठान में स्थायी रूप से कोई पद धारण नहीं करता है।

नियम 74:- ऐसी सेवाएँ जो उपधारा (2) और उपधारा (3) में विहित शर्तों को पूरा करती हैं, उस स्रोत के अनुसार जिसमें से वह संदत्त की जाती है, अर्हक होती है या अर्हत नहीं होती; इस नियम के संदर्भ में, सेवा को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: -

(ए) सामान्य राजस्व से भुगतान किया जाता है।

(बी) स्थानीय निधियों से भुगतान किया जाता है।

(सी) उन निधियों से भुगतान किया जाता है जिनके संबंध में सरकार न्यासी का पद धारण करती है।

(डी) कानून द्वारा लगाए गए शुल्क द्वारा, या सरकार के अधिकार के तहत या कमीशन द्वारा भुगतान किया जाता है।

(ई) अनुदान द्वारा भुगतान किया गया, कानून और रिवाज के अनुसार, भूमि में एक कार्यकाल का, या आय का एक स्रोत, या धन एकत्र करने का अधिकार

नियम 103 - किसी सरकारी सेवक की सेवा में व्यवधान का अर्थ है कि निम्नलिखित दशा को छोड़कर उसकी पूर्व सेवा जब्त कर ली जाएगी -

(क) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी।

(ख) अनुपस्थिति की प्राधिकृत छुट्टी के क्रम में अप्राधिकृत अनुपस्थिति, जब तक कि अनुपस्थित व्यक्ति का पद सारभूत रूप से भरा नहीं जाता है; यदि उसका पद पर्याप्त रूप से भरा जाता है, तो अनुपस्थित व्यक्ति की पिछली सेवा जब्त कर ली जाती है। (ग) निलंबन, जहां इसके तुरंत बाद बहाली की जाती है चाहे उसी पर या किसी भिन्न पद पर, या जहां सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या उसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है या निलंबन के दौरान सेवानिवृत्त कर दिया जाता है।

(घ) स्थापना में कमी के कारण पद का उन्मूलन या नियुक्ति का नुकसान।

(ङ) सरकारी नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठान में स्थानांतरण या गैर-अर्हक सेवा। स्थानांतरण एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए; एक सरकारी कर्मचारी जो स्वेच्छा से अर्हक सेवा से इस्तीफा देता है, इस अपवाद के लाभ का दावा नहीं कर सकता है। अनुदान प्राप्त स्कूल में स्थानांतरण में जब्ती होती है।

(च) एक नियुक्ति से दूसरी नियुक्ति में लगने वाला समय बशर्ते कि सरकारी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत स्थानांतरित किया जाता है, या, यदि वह अपने पुराने कार्यालय के प्रमुख की सहमति से एक अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी है।

14. इस न्यायालय के समक्ष, 3 रिट याचिकाकर्ता श्रेणी I में आने वाली अपील में हैं, 18 श्रेणी II में आते हैं और 6 श्रेणी III में आते हैं।

15. अपील के तहत आदेश में, पेंशन के लिए कर्मचारियों के दावे को इस कारण से अस्वीकार कर दिया गया था कि सामान्य शब्दों में नियम 59 (1) के अर्थ के भीतर कोई घोषणा नहीं की गई है और न ही उनके पक्ष में जारी किए गए व्यक्तिगत मामलों में कोई निर्देश दिया गया है। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसे के रूप में रिपोर्ट किया गया था। ***ध्यान सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य***[5]. उच्च न्यायालय ने ***बलिराम सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य***[6] के मामले में पटना उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को भी सही ठहराया ।प्रति इंकुरियम है। उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"पूर्वगामी चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि इन याचिकाकर्ताओं/कर्मचारियों की पिछली सेवाएं केंद्र प्रायोजित योजना के तहत थीं, जिसे प्रौढ़ शिक्षा/अनौपचारिक शिक्षा/जन शिक्षा परियोजना के रूप में जाना जाता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा 1.4.2001 से समाप्त कर दिया गया था और परिणामस्वरूप झारखंड सरकार द्वारा 15.5.2001 से समाप्त कर दिया गया था। इसलिए, ऐसी योजना/परियोजना के तहत इन याचिकाकर्ताओं/कर्मचारियों की नियुक्ति को स्थायी और वास्तविक पद पर सरकार की नियमित स्थापना के तहत नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा, उनके वेतन और भत्ते समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान द्वारा वहन किए गए

---

[5] (2002) 10 एससीसी 656

[6] 2016 एससीसी ऑनराइन नैट 9958

थे। यही कारण है कि केंद्र सरकार द्वारा 1.4.2001 से योजना बंद करने के बाद उनकी सेवाओं को अधिशेष माना गया। याचिकाकर्ता तथ्यों पर उपरोक्त स्थिति का खंडन करने में विफल रहे हैं। ''

16. ***बलिराम सिंह*** के मामले में निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है क्योंकि इस न्यायालय ने ***बिहार राज्य और अन्य बनाम बलिराम सिंह एवं अन्य***[7] के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय को अंतिम रूप दिया है। उपर्युक्त मामले में, परियोजना के तहत नियुक्त रिट याचिकाकर्ताओं को समाहित करने के नीतिगत निर्णय में एक खंड निहित था कि उम्मीदवारों को नई नियुक्तियों के रूप में माना जाएगा और उनके द्वारा प्रदान की गई पहले की सेवाओं की गणना उनकी पेंशन के लिए की जाएगी। पटना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाकर्ताओं ने अपनी बर्खास्तगी की तारीख से लेकर अवशोषित होने की तारीख तक के वेतन का दावा किया। इस न्यायालय ने बकाया मजदूरी के दावे को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

> "18. वर्तमान मामले में, हालांकि, उत्तरदाताओं ने न तो 1-4-2001 से प्रभावी गैर-औपचारिक शिक्षा योजना को बंद करने के बाद समाप्ति आदेश को चुनौती दी है और न ही 20-5-2005 की नीति जिसके तहत उन्हें नियुक्त किया गया है या नियुक्ति पत्र दिनांक 16-3-2007 को चुनौती दी है। यहां तक कि दिनांक 16-3-2007 के नियुक्ति पत्र में भी स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि नियुक्ति एक नई नियुक्ति थी और पिछली सेवाओं की गणना केवल पेंशन प्रदान करने के उद्देश्य से की जाएगी और इससे अधिक कुछ नहीं। निर्विवाद रूप से, उत्तरदाताओं ने बिना किसी विलंब के नियुक्ति के ऐसे नियमों और शर्तों पर काम किया। उन्होंने केवल वर्ष 2013 में विषय रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना, जब कार्रवाई का कारण पहली बार 1-4-2001 को, फिर 20-5-2005 को और एक बार फिर, 16-3-2007 को उत्पन्न हुआ। जब तक प्रतिवादियों को उनके पिछले पद (1-4-2001 से पहले आयोजित) में बहाल नहीं किया जाता है, तब तक मजदूरी वापस देने का सवाल ही नहीं उठता। बकाया मजदूरी की राहत को केवल बहाली के आदेश से जोड़ा जा सकता है। इसे अलग-थलग या उस अवधि के दौरान नहीं दिया जा सकता है जब उत्तरदाता रोजगार में नहीं थे।

---

[7] (2018) 18 एससीसी 46

17. ***ध्यान सिंह*** का मामला हरियाणा राज्य में परियोजना के तहत नियुक्तियों के संबंध में था। उपर्युक्त परियोजना को समाप्त किए जाने पर कर्मचारियों की सेवाओं का निर्वहन किया गया था। कर्मचारियों ने पिछली सेवा और पेंशन के लिए अपने वेतन के निर्धारण का दावा करते हुए अदालत के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान किया। इस न्यायालय ने इस तरह के दावे को अस्वीकार कर दिया और निम्नानुसार आयोजित किया:

> "..... विशिष्ट योजना के तहत अपीलकर्ताओं की निरंतरता/नियुक्ति को सरकार के किसी भी प्रतिष्ठान के तहत रोजगार नहीं माना जा सकता है। ऐसी योजनाएं कुछ आकस्मिकताओं के लिए ली जाती हैं जब इसके लिए धन या तो प्रदान किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा या कभी-कभी कुछ विदेशी देशों द्वारा। लेकिन ऐसी योजना के तहत रोजगार राज्य सरकार के औपचारिक संवर्ग का हिस्सा नहीं होने के कारण, यह धारण करना मुश्किल है कि जिस अवधि के लिए ऐसी योजना के तहत एक कर्मचारी ने सेवा प्रदान की, उसे या तो उनके पेंशन लाभों का निर्णय लेने के प्रयोजनों के लिए या यहां तक कि नियमित रूप से अवशोषित होने के बाद वेतनमान में उनके वेतन के निर्धारण के लिए भी गिना जा सकता है।

18. वर्तमान मामले में, झारखंड सरकार द्वारा जारी 30 मई, 2007 की अधिसूचना के खंड 11 में कहा गया है कि अधिशेष कर्मियों के अवशोषण को नई नियुक्तियों के रूप में माना जाएगा और उन्हें उनकी पिछली सेवा के आधार पर वरिष्ठता का लाभ नहीं दिया जाएगा। न ही ऐसी पिछली सेवा उन्हें इस तरह के वेतन संरक्षण का हकदार बनाएगी। परियोजना अधिकारियों के रूप में 65 अभ्यथयों को नियुक्त करने वाले नियुक्ति पत्रों में से एक नियुक्ति पत्र 20 दिसम्बर, 2007 को जारी किया गया था। ऐसे नियुक्ति पत्र में निम्नलिखित खंड थे जो निम्नानुसार हैं:

> "4. समायोजित कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाएगा। छंटनी से पहले की उनकी सेवा अवधि को पेंशन के उद्देश्य से गिना जाएगा। पेंशन के उद्देश्य के लिए छंटनी की अवधि की गणना नहीं की जाएगी।

5. उपर्युक्त अधिशेष परियोजना अधिकारियों के समायोजन को नई नियुक्ति माना जाएगा और अधिशेष बनने से पहले की गई उनकी सेवा के आधार पर वरिष्ठता का लाभ उन्हें स्वीकार्य नहीं होगा।''

अन्य कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी इसी तर्ज पर हैं।

19. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क यह है कि 30 मई, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से राज्य का नीतिगत निर्णय केवल उन्हें वरिष्ठता या वेतन संरक्षण के लाभ से वंचित करता है, लेकिन उनकी पिछली सेवा को पेंशन लाभों के लिए नहीं गिना जाता है। यह तर्क दिया गया है कि नियमों के नियम 59 के संदर्भ में, राज्य सरकार ने घोषणा की है कि विभिन्न योजनाओं के तहत नियोजित अस्थायी सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं 15 साल की सेवा पूरी होने के बाद पेंशन की हकदार होंगी।

20. पूरा मामला नियमों के नियम 59 और तत्कालीन बिहार राज्य के 12 अगस्त, 1969 के परिपत्र पर आधारित है। हमें अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्कों में कोई योग्यता नहीं मिलती है। नियमों के नियम 59 में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह पेंशन के लिए पात्र होने के लिए अराजपत्रित सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई किसी भी विशिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा कर सकती है, बशर्ते कि वेतन का भुगतान सामान्य राजस्व से किया गया हो। नियमों के नियम 58 में उन शर्तों पर विचार किया गया है जिन्हें सेवाओं के पेंशन योग्य होने के लिए पूरा करना आवश्यक है। इसमें, जैसा कि पहले दोहराया गया है, पहली शर्त यह है कि सेवा सरकार के अधीन होनी चाहिए; दूसरा, कि यह वास्तविक और स्थायी होना चाहिए; और तीसरा, कि इसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाना चाहिए।

21. अपीलकर्ताओं को एक विशिष्ट योजना अर्थात परियोजना के तहत नियुक्त किया गया था। ऐसी परियोजना सरकार की स्थायी स्थापना नहीं थी क्योंकि यह एक विनिदष्ट अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषित एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए थी। परियोजना के तहत अपीलकर्ताओं की नियुक्ति राज्य सरकार के किसी भी संवर्ग का हिस्सा नहीं है। इसलिए, नियम 58 की पहली शर्त कि प्रदान की गई सेवा राज्य सरकार के अधीन होनी चाहिए, परियोजना के तहत नियुक्त किए गए अपीलकर्ताओं द्वारा संतुष्ट नहीं है। दूसरी शर्त

---

[8] 2010 एससीसी ऑनराइन झय 8

यह है कि रोजगार पर्याप्त और स्थायी होना चाहिए, अपीलकर्ताओं द्वारा फिर से संतुष्ट नहीं किया गया है क्योंकि अपीलकर्ताओं का रोजगार परियोजना के तहत था। नियमावली के नियम 31 के अनुसार स्थायी पद का अर्थ है एक निश्चित वेतन दर वाला पद और जिसे बिना किसी समय सीमा के संस्वीकृत किया जाता है। परियोजना के तहत अपीलकर्ताओं की नियुक्ति वेतनमान में नहीं थी और न ही इसे बिना समय सीमा के मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, नियमावली के नियम 38 में मूल वेतन को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे संवर्ग में नियुक्त किया जाता है। सबसे अच्छा, अपीलकर्ताओं ने केवल तीसरी शर्त को पूरा किया यानी कि उन्हें सरकार द्वारा भुगतान किया गया था।

22. यदि नियमों के नियम 58 में उल्लिखित पहली और दूसरी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो राज्य सरकार पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए गैर-राजपत्रित क्षमता में प्रदान की गई किसी भी निर्दिष्ट प्रकार की सेवा की घोषणा कर सकती है। दिनांक 12 अगस्त, 1969 का यह परिपत्र अस्थायी सरकारी कर्मचारी को पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित है। अपीलकर्ताओं को सरकार द्वारा अस्थायी या स्थायी आधार पर कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था। अपीलकर्ताओं को परियोजना यानी एक योजना के तहत लगाया गया था, इसलिए, अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह के परिपत्र के लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, नियमों के नियम 59 के उप-नियम (1) राज्य को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी विशिष्ट प्रकार की सेवा घोषित करने का अधिकार देते हैं। 30 मई, 2007 को प्रसारित अवशोषण की अधिसूचना और उसके बाद के नियुक्ति पत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि परियोजना के अंतर्गत अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेंशन के लिए पात्र होंगी। नीतिगत निर्णय में यह कहा गया है कि यह एक नई नियुक्ति है और वरिष्ठता या वेतन संरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने नियुक्ति की ऐसी शर्त पर विवाद किया जिसे 30 मई, 2007 की अधिसूचना के माध्यम से इस तरह के नीतिगत निर्णय के तहत नियुक्त किया गया था। परिपत्र में पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किए गए हैं। पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करने के लिए परिपत्र में किसी विशिष्ट शर्त के अभाव में, यह पढ़ना संभव नहीं है कि परियोजना के पूर्व कर्मचारियों को पेंशन लाभ प्रदान किए जाने हैं। अपीलकर्ता यह कहने से नहीं चूक सकते कि परियोजना के तहत उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन के लिए गिना जाएगा। दिनांक 12 अगस्त, 1969 का परिपत्र इस

परियोजना के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों पर दूर-दूर तक भी लागू नहीं होता है क्योंकि नियुक्ति की प्रकृति एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए थी न कि असीमित समयावधि के लिए।

23. ***बलिराम सिंह*** का मामला बिहार राज्य की नीति से उत्पन्न होता है जिसमें पिछली सेवा को विशेष रूप से पेंशन के लिए विचार करने का आदेश दिया गया है। चूंकि झारखंड राज्य में उन्हें वरिष्ठता के किसी लाभ के बिना नई नियुक्तियों के रूप में मानने और वेतन संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है, इसलिए उस अवधि को गिनना जब अपीलकर्ता किसी परियोजना के तहत पेंशन योग्य सेवा के रूप में कार्य कर रहे थे, समझ से परे है। अपीलकर्ताओं को नए उम्मीदवारों के रूप में नियुक्त किया गया है और इसलिए, पेंशन के लिए उनकी सेवा की अवधि की गणना उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख से की जानी है और इसलिए उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा का कोई लाभ नहीं मिल सकता है।

24. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने ***असगर अली और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य*** [8] में इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लेख किया है। जिसमें बकाया के भुगतान के लिए उच्च न्यायालय के निर्देश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था। यह तर्क दिया गया है कि चूंकि अपीलकर्ताओं को उनकी नियमित नियुक्ति से पहले की अवधि के लिए वेतन का भुगतान किया गया है, इसलिए अपीलकर्ता पेंशन के भी हकदार होंगे।

25. झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने ***असगर अली*** के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में 16 मई, 2001 से वेतन के बकाया के भुगतान के लिए एक प्रार्थना से निपटा, अर्थात जब कर्मचारियों को अधिशेष के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जनवरी, 2008 तक, यानी उनके अवशोषण की तारीख, 2004 की रिट याचिका संख्या 729 में। विद्वान एकल पीठ ने दिनांक 4 जनवरी, 2010 के आदेश के तहत राज्य को वेतन के भुगतान के लिए निर्देश दिया क्योंकि परियोजना के तहत कर्मचारियों की सेवाओं की छंटनी नहीं की गई थी, इसलिए, कर्मचारी अपने वेतन के हकदार थे। ऐसी याचिका में कर्मचारियों ने पेंशन लाभों के प्रयोजनों के लिए पिछली सेवाओं की गणना के लिए कोई दावा नहीं किया था। विद्वान एकल न्यायाधीश के ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य ने 2012 की एलपीए संख्या 533 की मांग की जिसे दिनांक 1 अक्टूबर, 2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया

था। इसके बाद राज्य ने एक विशेष अनुमति याचिका की मांग की, जिसे रिट याचिकाकर्ताओं/कर्मचारियों को वेतन का चरणबद्ध भुगतान करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया गया। फिर, पेंशन के प्रयोजनों के लिए पिछली सेवाओं की गिनती के लिए कोई दावा नहीं किया गया था या न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। यह केवल एक मौद्रिक लाभ था जो परियोजना के तहत नियोजित कर्मचारियों के खिलाफ छंटनी का कोई औपचारिक आदेश पारित नहीं होने के कारण प्रदान किया गया था।

26. चूंकि अपीलकर्ताओं को वेतन संरक्षण और वरिष्ठता के बिना नई नियुक्तियों के रूप में अवशोषित किया गया था, इसके परिणामस्वरूप, वे पेंशन के उद्देश्य से परियोजना के तहत प्रदान की गई अपनी पिछली सेवा की गणना करने के हकदार नहीं होंगे। इस प्रकार, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिलती है जो वर्तमान अपीलों में हस्तक्षेप की मांग कर सकती है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी जाती है।

2020 की सिविल अपील संख्या 544

27. वर्तमान अपील 20 जून, 2018 को पटना उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत राज्य द्वारा दायर 2018 की एल पी ए संख्या 189 को 19 अप्रैल को 2010 के सी डब्ल्यू जे सी संख्या 20780 और 2010 के सी डब्ल्यू जे सी संख्या 20801 में एकल पीठ द्वारा पारित आदेश पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया था। 2011 जिसमें बिहार पेंशन नियम, 1950 के नियम 103 का उल्लेख करते हुए, यह माना गया था कि किसी पद के उन्मूलन के कारण सेवा में रुकावट सरकारी कर्मचारी की पिछली सेवा को जब्त नहीं करेगी, अर्थात बीच की अवधि को पेंशन लाभ के लिए गिना जा सकता है। उक्त तथ्य के मद्देनजर, राज्य को निर्देश दिया गया था कि वह रिट याचिकाकर्ताओं को 1992 और 1998 के बीच सेवा में जारी रखने के रूप में केवल व्यक्तिगत मौद्रिक लाभ देने के उद्देश्य से विचार करे। याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह से अवधि के लिए वेतन के भुगतान का हकदार नहीं होना था और न ही अन्य सरकारी कर्मचारियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा करना था।

28. उपरोक्त निर्णयों के बाद, **बलिराम सिंह** ने अन्य लोगों के साथ 1 अक्टूबर, 2001 से 3 जुलाई, 2007 तक की अवधि के लिए मजदूरी का दावा करने के लिए 2013 [9]

[9] 2016 एससीसी ऑनलाइन पटना 9958, 22 अगस्त, 2016 को तय की गई।

का सी डब्ल्यू जे सी नंबर 22208 दायर किया। विद्वान एकल पीठ ने 22 अगस्त, 2016 को रिट याचिका की अनुमति दी। इसके बाद, 2016 का एलपीए संख्या 2307 ,15 जनवरी 2018 को खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेशों को इस न्यायालय ने बलिराम सिंह मामले में निरस्त कर दिया था। इसलिए, **बलिराम सिंह** पर पहले चरण में पारित एक आदेश पर उच्च न्यायालय की निर्भरता लंबे समय तक अच्छा है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बिहार राज्य में, परियोजना के तहत कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवाओं को पेंशन लाभों के लिए ध्यान में रखा गया था। उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील का निपटारा उसी शर्तों में किया जाता है जैसे **बलिराम सिंह** में किया जाता है।

दिव्या पांडे अपीलों का निस्तारण

<u>यह अनुवाद तलत परवीन, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>